

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

प्रलिस के ललल:

[घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधनलल, 2005, राषुडरीड डरवलर सवलसुथड सरवेकुषण, दहेज नषलध अधनलल 1961](#)

डेनुस के ललल:

भरत डें घरेलू हिंसा का सडररधरन करने वाले कानूनी ढरँके, सडररजकल डरनदंडुु की डुडकल

[सुरुत: इंडडलन ँकसडरेस](#)

करुा डें करुुु?

दललली उकुक नुडरररलड ने हलल ही डें [घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधनलल, 2005](#) (Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005) की सारसुडडुडकलतल डर डल देते हुँ कहर कल डे सडुी डरलललरुु डर लरगु हुुतल है, कलहे उनकी धररडकल डर सडररजकल डुषुडडुडकुष डुी हुु ।

- उकुक नुडरररलड ने ँक डतल और उसके रशलतेदररुु दवररल दरडर डरककल कु खररङु करते हुँ डे डडुडणरुुु की ।
- डरककल डें अडुलीड नुडरररलड के उस आदेश कु कुनुुती दी गई थी डसलने डतुनी दवररल दरडर घरेलू हिंसा की शकलडत कु डररल कर दलल थल ।

भरत डें घरेलू हिंसा कतलनी वुडरडक है?

- भरत डें 32% ववलरहतल डरलललरुु ने डतलरल कल उनुुने अडने कुवनकल डें अडने डतलरुुु दवररल शररीरकल, डुन हसल डर डरवनरतुडक हसल कल अनुडव कडल है ।
- **राषुडरीड डरवलर सवलसुथड सरवेकुषण-5 (National Family Health Survey-5), 2019-2021** के अनुसर, “18 से 49 वरुष की आडु के डुीक की 29.3% ववलरहतल डररतुीड डरलललरुु ने घरेलू/डुन हसल कल सडरनर कडल है; 18 से 49 वरुष की 3.1% डरुडवतुी डरलललरुु कु डरुडरवसुथर के दुररन शररीरकल हसल कल सडरनर करनर डुडर है ।
 - डह तु केवल डरलललरुुु दवररल दरुङ कडल डे डरडलुु की संखुडर है । अकसर ँसे कडु लुग हुुते हैं, कु शकलडत करने कडु डुलसल तक नही डहुँक डरते हैं ।
- **NFHS आँकडुु के डुतररकल, वैवररकल हसल की शकलर 87% ववलरहतल डरलललरुु डदद नही डरंगतुी हैं ।**


DOMESTIC VIOLENCE FACED BY INDIAN WOMEN

29.3
2015-16

31.2
2019-21

STATES WITH THE HIGHEST CASES OF DOMESTIC VIOLENCE

(Married women, 18-49, spousal violence)



Source: National Family Health Survey, 2019-21

घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक क्या हैं?

- लैंगिक असमानताएँ:

- वैश्विक सूचकांकों में परलिकषति भारत का व्यापक **लैंगिक असमानता** पुरुष प्रधानता और अधिकार की भावना में योगदान देता है।
- पुरुष प्रभुत्व जताने और अपनी कथति श्रेष्ठता को मज़बूत दिखाने के लिये हिसा का प्रयोग कर सकते हैं।
- **मादक पदार्थों का सेवन:**
 - **शराब या नशीली दवाओं** का दुरुपयोग जो नरिणय को बाधति करता है और हसिक प्रवृत्तको बढ़ाता है। **नशा करने** से संकोच समाप्त हो जाता है और आपसी झगड़े बढ़कर शारीरिक या मौखिक दुरव्यवहार में परिवर्तित हो जाते हैं।
- **दहेज प्रथा:**
 - **घरेलू हिसा और दहेज प्रथा** के बीच एक मज़बूत संबंध होता है, दहेज की अपेक्षाएँ पूरी न होने पर हिसा की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।
 - दहेज पर रोक लगाने वाले कानून जैसे **दहेज प्रतषिध अधनियम 1961** के बावजूद, दुल्हन को जलाने और दहेज से संबंधति हिसा के मामले जारी हैं।
 - वत्ततीय तनाव और नरिभरता की गतशीलता जो संबंधों में तनाव को बढ़ाती है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक मानक:**
 - पारंपरिक मान्यताएँ एवं प्रथाएँ लैंगिक भूमिकाओं और घरेलू शक्ति असंतुलन को कायम रखती हैं।
 - **पत्तिसत्तात्मक व्यवस्थाएँ** महिलाओं पर पुरुष सत्ता और नयितरण को प्राथमिकता देती हैं। हिसा अकसर महिलाओं के शरीर, शर्म और प्रजनन अधिकारों पर स्वामतिव की धारणा से उत्पन्न होती है, जो प्रभुत्व की भावना को मज़बूत करती है।
 - असुरक्षा या अधिकार से उपजी एक साथी पर प्रभुत्व और नयितरण की इच्छा।
 - सामाजिक अनुकूलन अकसर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मज़बूत करते हुए, महिलाओं के लिये वविाह को अंतमि लक्ष्य के रूप में चत्तिरति करती है।
 - भारतीय संस्कृति अकसर उन महिलाओं का गौरवान्वति करती है जो सहषिणुता और समरण का प्रदर्शन करती हैं, उन्हें अपमानजनक संबंधों को छोड़ने से हतोत्साहति करती हैं।
- **सामाजिक आर्थिक तनाव:**
 - **गरीबी और बेरोज़गारी**, परिवारों के भीतर अतरिकित तनाव उत्पन्न करती है, जसिसे हसिक व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे:**
 - अनुपचारति मानसिक स्वास्थ्य स्थतियिँ जैसे अवसाद, चत्ता या व्यक्ततिव विकार जो अस्थिर व्यवहार में योगदान करते हैं।
- **शक्ति और जागरूकता का अभाव:**
 - स्वस्थ संबंधों की गतशीलता और अधिकारों की सीमति समझ, जसिके कारण अपमानजनक व्यवहार को स्वीकार या सामान्य कया जा सकता है।
 - घरेलू हिसा के वरिद्ध कानूनी सुरक्षा या उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में अज्ञानता।
 - कई महिलाओं में अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी होती है और वे अपनी अधीनस्थ स्थतिति को स्वीकार करती हैं, जसिसे कम आत्मसम्मान व अधीनता का चक्र कायम रहता है।

भारत में घरेलू हिसा को कौन-से कानूनी ढाँचे संबोधति करते हैं?

कानूनी ढाँचा	वविरण
घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधनियम, 2005 (PWDVA)	<ul style="list-style-type: none"> ■ इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिसा, जसिमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है, से बचाना है। यह सुरक्षा, नविस और राहत के लिये वभिन्न आदेश प्रदान करता है।
भारतीय दंड संहति, 1860 (धारा 498A)	<ul style="list-style-type: none"> ■ यह कसिी महिला पर पत्ता या उसके संबंधियिँ द्वारा कूरता को दर्शाता है, साथ ही कूरता, उत्पीड़न या यातना के कृत्यों को अपराध घोषति करता है।
भारतीय साक्ष्य अधनियम, 1872	<ul style="list-style-type: none"> ■ यह अधनियम वशिष रूप से घरेलू हिसा पर केंद्रति नही है, फरि भी यह अधनियम घरेलू हिसा से संबंधति मामलों में प्रासंगिक कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य हेतु नयिम प्रदान करता है।
दहेज नषिध अधनियम, 1961	<ul style="list-style-type: none"> ■ यह दहेज संबंधी अपराधों को संबोधति करता है। इसके अनुसार, दहेज देना या लेना अपराध है।
दंड वधि (संशोधन) अधनियम, 2013 (धारा 354A)	<ul style="list-style-type: none"> ■ यौन उत्पीड़न से संबधति नए अपराधों को शामिल करने के लिये IPC में संशोधन कया गया। यह घरेलू हिसा के मामलों में प्रासंगिक है।
कशिोर नयाय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधनियम, 2015	<ul style="list-style-type: none"> ■ बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करता है। यह तब प्रासंगिक है जब बच्चे घरेलू हिसा के शक्तिार होते हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधनियम, 1990	<ul style="list-style-type: none"> ■ महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना की गई। NCW घरेलू हिसा को संबोधति करने में भूमिका नभिता है।
बाल वविाह प्रतषिध अधनियम, 2006	<ul style="list-style-type: none"> ■ इसका उद्देश्य बाल वविाह को रोकना है। यह तब प्रासंगिक जब बाल वधुओं को घरेलू हिसा का सामना करना पड़ता है।
समलैंगिक संबंधों के संदर्भ में घरेलू दुरव्यवहार	<ul style="list-style-type: none"> ■ वर्तमान कानून मुख्य रूप से वषिमलैंगिक संबंधों पर ध्यान केंद्रति करते हैं, जसिसे समलैंगिक युगल बना कानून के घरेलू दुरव्यवहार के प्रतषिध सिंवेदनशील होते हैं। ■ समलैंगिक वविाहों की मान्यता मौजूदा कानूनों को प्रभावति कर सकती है, संभावति रूप से समलैंगिक युगलों को सुरक्षा प्रदान

वैश्विक पहलें:

- **महिलाओं के वरिद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW):**
 - वर्ष 1979 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपनाया गया, CEDAW जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की दशा में कार्य करता है।
- **महिलाओं के वरिद्ध हिसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (DEVAW):**
 - DEVAW, 1993 **महिलाओं के वरिद्ध हिसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय उपकरण** था, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता था।
- **सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान:**
 - यह पहल **यू.एन. व्मेन** द्वारा गठित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं (W&G) के खिलाफ यौन उत्पीड़न एवं अन्य प्रकार की हिसा को रोकना व उसपर प्रतिक्रिया देना है।
 - यह शहरी सरकारों, स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मलिकर कार्य करता है।
- **बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन:**
 - वर्ष 1995 का बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन **महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिसा को रोकने तथा प्रतिक्रिया** देने के लिये सरकारों द्वारा की जाने वाली वशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करता है।

घरेलू हिसा के वरिद्ध कानून लागू करना चुनौतीपूर्ण क्यों है?

- **सामाजिक:**
 - पीड़ित प्रायः **सामाजिक कलंक**, प्रतशिोध के भय या पारिवारिक प्रतषिठा की चिंताओं के कारण **घरेलू हिसा की रपिर्ट** नहीं करते हैं। यह चुप्पी अधिकारों हेतु कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण बना देती है।
 - घरेलू हिसा की घटनाएँ अक्सर कम ही दर्ज़ की जाती हैं। पीड़ित कुछ व्यवहारों को दुरव्यवहार के रूप में नहीं पहचान पाते हैं या उन्हें सामान्य बना लेते हैं।
- **जागरूकता का अभाव:**
 - पीड़ितों सहित कई लोग अपने **वधिकि अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों से अनभिज्ञ** हैं। पर्याप्त जागरूकता के अभाव में मामलों की रपिर्ट करना तथा वधिकि सहायता प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- **नरिभरता और आर्थिक कारक:**
 - पीड़ितों की अपने साथ दुरव्यवहार करने वालों पर आर्थिक नरिभरता एक अन्य समस्या है। **आर्थिक दुष्परिणामों के भय** से वे कानूनी सहायता लेने से बचते हैं।
- **अपर्याप्त कार्यान्वयन और प्रशिक्षण:**
 - इस बात की भी काफी संभावना बनती है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक निकायों में घरेलू हिसा के मामलों के नपिटान के लिये उचित प्रशिक्षण का अभाव हो। ऐसे में कानूनों का असंगत कार्यान्वयन इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न करता है।
- **वधिकि बाधाएँ:**
 - न्यायालय में घरेलू हिसा को साबित करने के लिये ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है। गवाहों अथवा भौतिक साक्ष्यों की कमी से मामला कमज़ोर पड़ सकता है।
- **पारिवारिक समस्याएँ:**
 - घरेलू हिसा अक्सर परिवार से संबंधित होती है। वधिकि कार्रवाइयों के कारण **पारिवारिक रश्ते खराब होने का वचिार कर पीड़ित व्यक्ति वधिकि सहायता प्राप्त करने में झझिकते हैं।**
- **सांस्कृतिक और क्षेत्रीय वविधिताएँ:**
 - घरेलू दुरव्यवहार की धारणा और इसपर प्रतिक्रिया कई सांस्कृतिक मानदंडों एवं प्रथाओं से प्रभावित होती है।
 - प्रवर्तन रणनीतियों में इन वविधिताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

आगे की राह

- लैंगिक आधार पर भूमिकाओं एवं शक्तियों के संबंध में वचिारधाराओं में प्रवर्तन लाना एक मूलभूत शर्त है। **परसपर सम्मान को बढ़ावा देने तथा समाज में व्याप्त पतिसत्तात्मक मानसिकता के उन्मूलन के लिये पुरुष-महिलाओं पर केंद्रित पहलें आवश्यक हैं।**
- तदभूत को बढ़ावा देने के लिये कानून प्रवर्तन, सेवा प्रदाताओं और मजसि्ट्रेट जैसे **हतिधारकों के लिये लैंगिक परिप्रेक्ष्य से प्रशिक्षण अनवार्य कयि** जाना चाहिये।
- पूरी न्यायालयी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को नःशुल्क अथवा कम लागत वाले वधिकि सहायता तक पहुँच की सुवधि सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- उत्तरजीवियों के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने हेतु रोज़गार संबंधी प्रशिक्षण व वतितीय साक्षरता कौशल की सुवधि प्रदान की जानी चाहिये।

प्रश्न-उत्तर प्रश्न-उत्तर प्रश्न-उत्तर:

प्रश्न. घरेलू हिंसा के वरिद्ध भारत में कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वाली सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक व वधिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न-उत्तर प्रश्न-उत्तर प्रश्न-उत्तर:

प्रश्न. प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली 'बीजगि घाषणा और काररवाई मंच (बीजगि डकिलरेशन ँड प्लैटफॉर्म फॉर ऐक्शन)' नमिनलखिति में से क्या है? (2012)

- (a) कषेत्रीय आतंकवाद से नपिटने की एक कार्यनीति (स्ट्रैटजी), शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑरगनाइज़ेशन) की बैठक का एक परणाम
- (b) एशिया-प्रशांत कषेत्र में धारणीय आर्थिक संवृद्धि की एक कार्य-योजना, एशिया-प्रशांत आर्थिक मंच (एशिया-पैसफिक इकनॉमिक फोरम) के वचार-वमिर्श का एक परणाम
- (c) महिला सशक्तीकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजति वशिव सम्मेलन का एक परणाम
- (d) वन्यजीवों के दुरव्यापार (ट्रैफकिगि) की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शखिर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समटि) की एक उदघाषणा

उत्तर: (c)

प्रश्न-उत्तर प्रश्न-उत्तर प्रश्न-उत्तर:

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रतियोन-उत्पीडन के बढते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के वरिद्ध वदियमान वधिकि उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ रही है। इस संकट से नपिटने के लयि कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (2014)

प्रश्न. भारत में एक मध्यम-वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थति को पतितंत्र (पेट्रिआर्की) कसि प्रकार प्रभावति करता है? (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/protection-of-women-from-domestic-violence>

